न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
030/2024(रे.वि.) (GCMS 2024/116)	31.05.2024	31.07.2024

अनवान

ललितसिंह पिता दुर्गासिंह राजपूत उम्र 58 वर्ष, निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 36 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती नेहासिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 40 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. श्रीमती नीतु कुंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 38 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. श्रीमती ललिता कुंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 64 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. महावीर सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपुत उम्र 54 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– आरसी शर्मा — प्रार्थी
बीएल पोखरना — अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 जा0दी0 बाबत् न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 002/2024 राजस्व अपील में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2024 बअनवान ललितसिंह बनाम दीपेन्द्रसिंह वगैराह

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 व 02 जा0दी0 के तहत न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 002/2024(रा.अ.) अनवानी ललितसिंह बनाम दीपेन्द्रसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2024 को निरस्त करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को पुनः सुनवाई करते हुये नव निर्णय पारित किये जाने हेतु पेश किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.06.2024 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं फर्द सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जो कि शामिल पत्रावली होकर जवाब प्रार्थना–पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड पर है। इस दौरान वकील प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2024 को लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर हाजिर उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण को बहस पत्रावली हेतु रखा गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2024 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात जो राजस्व ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ की खतोनी संख्या 800 पर दर्ज आराजीयात किता 11 रकबा 2.20 हैक्टेयर का आपसी सहमति से विभाजन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को यह निर्देश दिये कि दो तीन दिन में विधिवत विभाजन हेतु पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक मौके पर आयेंगे लेकिन आज दिवस तक मौके पर पटवारी हल्का, गिरदावर नहीं आये न ही उनके द्वारा मौके पर अपीलांट व अन्य खातेदारान की उपस्थिति में कोई नक्शा मौका ही कायम किया गया। उक्त आपत्ति प्रार्थी/अपीलांट द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत अपील में जाहिर की लेकिन न्यायालय द्वारा उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही अपील निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जिससे श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय पुर्नविचारण योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी की आपसी सहमति से विभाजन की पत्रावली से प्रार्थी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि उक्त प्रकरण में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया जिससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि सहमति से विभाजन की पालना में मौका निरीक्षण ही नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सहमति से विभाजन आदेश निरस्त किये जाने योग्य था लेकिन उक्त आपत्ति पर भी माननीय न्यायालय द्वारा गौर नहीं करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह पुर्नविचार योग्य है।

आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 17.05.2023 से पूर्व प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य एक पारिवारिक विभाजन नामा दिनांक 19.04.2023 को निष्पादित किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी/अपीलांट को आराजी नंबर 3057 में 0.48 हैक्टेयर भूमि विभाजन में दी जानी थी जो नहीं देकर केवल मात्र 0.31 हैक्टेयर भूमि ही दी गई तथा आराजी नंबर 3053मीन में प्रार्थी/अपीलांट को बंटवाडे में 0.12 हैक्टेयर भूमि दी गई जबकि आपसी सहमति विभाजन दिनांक 19.04.2023 के अनुसार 0.09 हैक्टेयर भूमि ही देनी थी, तथा आराजी नंबर 3051 में अपीलांट/ प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं था लेकिन सहमति विभाजन में मनमकसुद तरीके से 0.15 हैक्टेयर भूमि दी गई। इस प्रकार सम्पूर्ण बंटवाडे में पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन को नजर अंदाज करते हुए विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को उपजाऊ व कीमती जमीन देते हुए प्रार्थी/ अपीलांट को आश्वासन में लेते हुए त्रुटिपूर्ण विभाजन आदेश पारित कर दिया तथा उपरोक्त आक्षेप को प्रार्थी द्वारा श्रीमान् न्यायालय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष भी प्रस्तुत किया लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही आदेश पारित कर दिया इस कारण से भी श्रीमान् द्वारा पारित आदेश रिव्यू किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2024 पर पुर्नविचार किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, इस कारण प्रार्थना–पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

रिव्यू प्रार्थना–पत्र के संबंध में विधि का स्थापित मत है कि रिव्यू का स्कोप बहुत समिति है। चाहे कोई आदेश गलत भी हो तो ऐसे आदेश को रिव्यू के क्षेत्राधिकार में मानते हुए सही नहीं किया जा सकता है, रिव्यू तभी संभव है जबकि रिकार्ड के आमूख पर प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित हो रही हो, यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो गुणावगुण पर विचार करके पूर्व में पारित आदेश को रिव्यू नहीं किया जा सकता है। माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर के अध्यतन निर्णय 2024(1) आरआरटी 571 बलराम व अन्य बनाम जब्बर सिंह व अन्य मामले में माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त निर्णय के पेरा नंबर 04 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रिव्यू के माध्यम से पूर्व में पारित निर्णय आदेश को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है। धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 47 सीपीसी के अनुसार रिव्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जब कोई त्रुटि **Apparent on the face of record** हो, रिव्यू के माध्यम से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुर्नविचार नहीं किया जा सकता है। उक्त माननीय राजस्व मण्डल के विनिर्णय में पूर्व के कई राजस्व मण्डल के विनिर्णयों का समर्थन लिया गया है, जो 2009 (1) आरआरटी 707 एवं 2010 (2) आरआरटी 1170 के न्यायिक दृष्टान्तों का समर्थन लेते उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसके प्रकाश में प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र निरस्तनीय है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र में जो तथ्य व आधार प्रार्थी ने वर्णित किये है वे मामले के गुणावगुण से संबंधित होने के कारण केवल उस संबंध में अपील प्रस्तुत करने पर अपील न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है। रिव्यू के माध्यम से माननीय न्यायालय को उन तथ्यों व गुणावगुण पर पुर्नविचार का अधिकार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल के विनिर्णय आरआरडी 1969 पेज 463 मोतीनाथ बनाम सांवतराम पेरा 7 एवं आरआरडी 1969 पेज 465 छुटन बनाम हरहेत पेरा 7 में उक्त रिव्यू के माध्यम से उक्त वैधानिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया हुआ है जिसके प्रकाश में प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र विधि विपरीत होने से इसी कानूनी बिन्दू पर निरस्तीय है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से इसी बिन्दू पर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें। इसी ईल्तजा के साथ के विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जहां मियाद के प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश किया गया है। इसके साथ ही जहां तक विधि सिद्धान्त का प्रश्न है प्रार्थी इस संबंध में इस बात से सहमत नहीं है कि रिव्यू प्रार्थना–पत्र में ''ऐरर अपसेट फेस ऑफ रिकार्ड'' होने चाहिये अर्थात् प्रथम दृष्टया ही देखना चाहिये कि वास्तव में विध या तथ्यात्मक भूमि निर्णय में हुई है। मूलतः सिद्धांत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाजन वाद में प्रदत्त डिक्री के अनुसार होता है और उसका श्रवणाधिकार सहायक कलक्टर को है न की तहसीलदार बस्सी को परस्पर सहमति के आधार पर यदि विभाजन होना है तो उसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार की लिखित सहमति आवश्यक है परन्तु इस प्रकरण में स्पष्टतया न तो इस प्रकार का दोनो पक्षों का हस्तलिखित आवेदन और न तहसीलदार सहमति लिखित में थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बने पांति बंडवाडे के नियम 18, 19, 20, 21 अवलोकनीय है। प्रस्तुत रेकार्ड में स्पष्ट रूप से बंटवाडा पटवारी द्वारा किया गया जबकि काननू का मैण्डेटरी प्रावधान यह है कि बंटवाडा करने के लिये पटवारी नहीं तहसीलदार स्वयं मौके पर जायेगा और उन नियमों के अनुसार जमीन का मूल्यांकन कर जमीन की मौके की स्थिति व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी व यथासम्भव सभी पक्षों को अपनी होल्डिंग कम्पोजिट रूप में मिलेगी। इस भांति विभाजन करने के पश्चात् उन पक्षकारों को आपत्ति प्रस्तुत करने का समय भी दिया जावेगा, तभी विभाजन सही माना जावेगा। पटवारी द्वारा किया गया बंटवाडा निरस्त किया गया। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की फुल बैंच का निर्णय भी इस संबंध में परित किया गया है। अन्त में प्रार्थना की गई कि रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है कि क्योंकि पटवारी द्वारा प्रशासन गांव की और अभियान में किया गया है जो विभाजन अवैध है जैसा की फुल बैंच का निर्णय है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2021(1)** पेज संख्या **469** राधेश्याम बनाम रामस्वरूप का अवलोकन कराया। पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। हमने उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सह–सम्मान अवलोकन किया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। प्रार्थी की और से प्रस्तुत पत्रावली में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 002/2024(रा.अ.) निर्णय दिनांक 27.03.2024 अनवानी ललितसिंह बनाम दीपेन्द्र सिंह वगैराह की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। हमने निर्णय दिनांक 27.03.2024 का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने विधि का अवलोकन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। 1908 के आदेश 47 में प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

ORDER XLVII-REVIEW

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 . Application for review of judgment— (1) Any person considering himself aggrieved—
(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,
(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or
(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes

and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record of for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

2. A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गये आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था। न्यायालय ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानवतावश, पारित किया गया हो।

प्रार्थी की निर्णय दिनांक 27.03.2024 के संबंध में आपत्ति है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाजन वाद में प्रदत्त डिक्री के अनुसार होता है और उसका श्रणवाधिकार सहायक कलक्टर को है न कि तहसीलदार को परस्पर सहमति के आधार पर है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2023 जो कि तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित किया गया है के संबंध में क्षेत्राधिकारिता पर रिव्यू प्रार्थना–पत्र के माध्यम से आपत्ति की गई है।

इस संबंध में राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के तहत धारा 53 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम प्रावधित किये गये है। एग्रीमेंट (करार) के अनुसार कृषि जोतों का विभाजन करने के लिये सह–खातेदार के बीच में हुये एग्रीमेंट(करार) जो कि कई भागों के बारे में जिनमें कि कृषि जोत को अधिनियम की धारा 53 के उप–नियम (02) के क्लाज (1) के अन्तर्गत विभाजित किया गया है, सह–खातेदार के बीच हुए एग्रीमेंट (करार) को अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया जायेगा और तहसीलदार एग्रीमेंट (करार) की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा प्रावधित किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार बस्सी को आपसी एग्रीमेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(करार) से विभाजन किये जाने की क्षेत्राधिकारिता पूर्ण रूपेण प्राप्त है।

जहां तक प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना–पत्र में पारिवारिक विभाजन नामा दिनांक 19.04.2023 के अनुसार विभाजन नहीं होने का प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 002/2024 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 27.03.2024 के पृष्ठ संख्या 8 के द्वितीय पैरा में पूर्ण रूप से विवेचन किया जा चुका है, जिससे न्यायालय संतुष्ट है। इसके साथ ही तहसीलदार बस्सी द्वारा सह–खातेदारान के एग्रीमेंट (करार) के आधार कृषि जोतों के विभाजन करने का प्रश्न है, इस संबंध में भी न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 002/2024 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 27.03.2024 के पृष्ठ संख्या 8 अंतिम पैरा में जो पृष्ठ संख्या 9 पर पूर्ण होता है में पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषित किया जा चुका है, जिससे इस प्रकरण में दोहराया जाना उचित नहीं है।

जहां अपने तर्क के समर्थन में प्रार्थी की और से न्यायिक दृष्टांत **RRT 2021(1)** पेज संख्या **469** राधेश्याम बनाम रामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। हमने प्रार्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार को उभयपक्ष को भली–भांति सूचित करने के पश्चात् स्वयं द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा विभाजन हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा वृहत वाद विचारण के पश्चात् किसी प्रकार से विभाजन बाबत् डिक्री जारी की गई हो, बल्कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा **राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के तहत् एग्रीमेंट (करार) के अनुसार कृषि जोतों का विभाजन करने के लिये सह–खातेदार के बीच में हुये एग्रीमेंट(करार) जो कि कई भागों के बारे में जिनमें कि कृषि जोत को अधिनियम की धारा 53 के उप–नियम (02) के क्लाज (1) के अन्तर्गत विभाजित किये जाने हेतु स्वयं पक्षकारान द्वारा तहसीलदार बस्सी के समक्ष समस्त पक्षकारान द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश किया गया है, एवं इस तथ्य को उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है**, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत **RRT 2021(1)** पेज संख्या **469** राधेश्याम बनाम रामस्वरूप के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न है जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पांगी नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2024(1)** पेज संख्या **571** बलराम बनाम जब्बरसिंह एवं **RRD 1969** पेज संख्या **465** छुटन बनाम हरहेत प्रस्तुत किया गया है। हमने अप्रार्थी अधिवक्ता की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 47 सीपीसी के अनुसार रिव्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जब **Apparent on the face of record** कोई त्रुटि पाई जावें। **रिव्यू के माध्यम से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर सुनवाई नहीं की**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा सकती है केवल **Apparent on the face of record** कोई त्रुटि हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 की क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न रिव्यू प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 09.07.2024 में उठाया गया है। **न्यायालय निर्णय दिनांक 27.03.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में नहीं उठाया गया है एवं ना अपने रिव्यू आवेदन में इस तथ्य को उठाया गया है बल्कि लिखित बहस में इस तथ्य को उठाया गया है**, एवं न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारिता के प्रश्न संबंध में इस प्रकरण में पूर्व में पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा जो शेष तथ्य रिव्यू आवेदन में उठाये गये है वह तथ्य प्रकरण के गुणावगुण से संबंधित है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 002/2024(रा.अ.) निर्णय दिनांक 27.03.2024 में पूर्ण रूप से विवेचित एवं विश्लेषित किया जा चुका है, जिसे दोहराया जाना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों अप्रार्थी अधिवक्ता की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से मेल खाते है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में अप्रार्थी की और से न्यायिक दृष्टांत **RRD 1969** पेज संख्या **463** मोतीनाथ बनाम सांवतराम प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि **इस आधार पर रिव्यू नहीं की जा सकती कि कोई निर्णय गुण–दोष के आधार पर गलत है, ऐसा आधार अपील के लिए उपयुक्त होते हुए भी रिव्यू के लिए आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं है।**

निर्णय दिनांक 27.03.2024 के अनुसार न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित और लंबा विचार करने के बाद तथ्यों एवं दस्तावेजों को पूर्ण रूप से विवेचित एवं विश्लेषित किये जाने के उपरांत पारित किया जाना जाहिर होता है। प्रार्थी द्वारा अपने रिव्यू आवेदन में गुणावगुण के संबंध में त्रुटि होने का प्रश्न उठाया गया है, जो कि निर्णय दिनांक 27.03.2024 की अपील के लिये आधार हो सकता है किन्तु रिव्यू का आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य रिव्यू आवेदन में उठाये गये है वह तथ्य प्रकरण के गुणावगुण से संबंधित है, जिसके संबंध में न्यायालय पूर्व में निर्णय दिनांक 27.03.2024 में पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण कर चुका है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों अप्रार्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मेल खाती है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से मेल खाते है एवं प्रकरण पर चस्पांगी होकर अप्रार्थीगण के तर्को को बल प्रदान करते है।

प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र में उठाये गये इस तथ्य को न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.03.2024 में पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई ठोस दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि निर्णय दिनांक 27.03.2024 में किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानवतावश, पारित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया हो। इसके साथ ही ऐसी कोई नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता नहीं चला है जिसके सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया जा सका था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित कराये जाने में असफल रहा है कि प्रार्थी अन्य किसी पर्याप्त कारणों से न्यायालय आदेश दिनांक 27.03.2024 का पुनर्विलोकन किया जाए। यहा तक कि प्रार्थी द्वारा रिव्यू आवेदन एवं लिखित बहस में अलग–अलग तथ्य उठाये गये है, किन्तु फिर भी प्रार्थी यह साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पुनर्विलोकन अन्तर्गत आदेश 47 जा0दी0 प्रावधानों के तहत सुसंगत हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पुनर्विलोकन सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पुनर्विलोकन निर्णय दिनांक 27.03.2024 बमामले प्रकरण संख्या 002/2024(रा.अ.) अनवानी ललितसिंह बनाम दीपेन्द्रसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official